

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 5498 /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025-26,

दिनांक 17 दिसम्बर 2025

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4413/उ0ख0(ईनि)-V/वि0का0ज्ञ0/भू0 खनि0नि0/2025-26, दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के द्वारा विज्ञापित हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4449/PAU_10/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0नि0/2025-26 दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के ग्राम पनियाली तल्ली गाडीघाट पुल के डाउनस्ट्रीम,के खाता संख्या 0043 के खसरा संख्या 52 रकवा 8.910 है0 मध्ये 1.00 है0 (खोह नदी) राजस्व उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 36,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 25,20,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 21 नवम्बर 2025 (शुक्रवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी।

निदेशालय के पत्र संख्या 4960/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2025-26, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के ग्राम पनियाली तल्ली गाडीघाट पुल के डाउनस्ट्रीम,के खाता संख्या 0043 के खसरा संख्या 52 रकवा 8.910 है0 मध्ये 1.00 है0 (खोह नदी) हेतु निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 21 नवम्बर 2025 (शुक्रवार) के अनुसार राजस्व उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाताओं को सफल घोषित करते हुए उनकी वित्तीय निविदा खोलने की अनुमति प्रदान की गयी:-

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्रीमती सीमा नेगी प्रो0 नेगी ट्रेडर्स	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
3	त्रिलोक इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री लोकपाल सिंह	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई-निविदा सह ई-नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 24.11.2025 समय अपराह्न 2.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली (धनराशि रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1, H2, H3 परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	श्रीमती सीमा नेगी प्रो0 नेगी ट्रेडर्स	25,38,000.00	H1
2.	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	25,22,800.00	H2
3.	त्रिलोक इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री लोकपाल सिंह	25,21,800.00	H3


उपरोक्तानुसार ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच-1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध

नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच-3 तक अपनाई जायेगी। एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।


उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार नेगी ट्रेडर्स प्रो0 श्रीमती सीमा नेगी पत्नी स्व0 श्री इन्द्रमोहन नेगी निवासी निम्बूचौड मोटाढांक, कोटद्वार पौडी गढवाल के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 25,38,000.00 (रू0 पच्चीस लाख अडतीस हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 6,34,500.00 (रू0 छः लाख चौतीस हजार पाँच सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 25,20,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 6,30,000.00 के सापेक्ष यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया अजबपुर कलॉ देहरादून द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 602503030005564, दिनांक 20 नवम्बर 2025, रू0 6,30,000.00 (रू0 छः लाख तीस हजार मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 6,34,500.00-6,30,000.00=4,500) रू0 4,500.00 (रू0 चार हजार पाँच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता नेगी ट्रेडर्स प्रो0 श्रीमती सीमा नेगी पत्नी स्व0 श्री इन्द्रमोहन नेगी निवासी निम्बूचौड मोटाढांक, कोटद्वार पौडी गढवाल को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 4,500.00 (रू0 चार हजार पाँच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए अनुक्रमानुसार एच-2 बोलीदाता को एच-1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।


(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या 5498 / उप0ख0(ईनि)-V / भू0खनि0निदेशा0 / 2025-26, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पौडी गढवाल।
4. एच-1 बोलीदाता नेगी ट्रेडर्स प्रो0 श्रीमती सीमा नेगी पत्नी स्व0 श्री इन्द्रमोहन नेगी निवासी निम्बूचौड मोटाढांक, कोटद्वार पौडी गढवाल।


(राजपाल लेघा)
निदेशक
17/11/25